न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/102/2022	2022/348	16.08.2022	20.05.2024

1. राजेश कुमार शर्मा उम्र करीब 62 वर्ष पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा
2. दीपांशु शर्मा उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा जातियान ब्राह्मण निवासीयान 21 कमल कुंज एन ई बी के पीछे सुभाष नगर अलवर निवासी हाल मकान नंबर 07 दैनिक भास्कर ऑफिस के पासए अलवर राजस्थान

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. रमेश चन्द शर्मा उम्र करीब 82 वर्ष पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी 21 कमल कुंज एन ई बी के पीछे सुभाष नगर अलवर राजस्थान

——असल रेस्पोडेन्ट

2. मुकेश कुमार शर्मा उम्र करीब 58 वर्ष पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 21 कमल कुंज एनईबी के पीछे सुभाष नगर अलवर राजस्थान

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर प्रकरण संख्या 03/45/2019 निर्णय दिनांक 29.04.2022

उपस्थितः—

01. श्री मुकेश कुमार शर्मा —वकील अपीलांट्स

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट्स ने यह अपील अन्तर्गत धारा—16 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के आदेश दिनांक 29.04.2022, से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर राजस्थान निर्णय दिनांक 29.04.2022 प्रकरण संख्या 03/45/2019 का हैं। आलोच्य निर्णय के दिन हम अपीलान्टस घरेलू कार्य व अन्य कार्यो में व्यस्त होने कारण तहत अदालत में हाजिर नही थें, हमारे वकील साहब उपस्थित थे। जिस कारण से हम अपीलान्टस को उक्त निर्णय तहत अदालत की पूर्व में कोई जानकारी नहीं हों सकी तथा हम अपीलान्टस को उनके अभिभाषक द्वारा भी उक्त निर्णय की कोई सूचना नहीं दी गई। इसलिए हम अपीलान्टस नेकनियति व सद्भावनापूर्वक अपील अंदर अवधि अदालत श्रीमान में पेश नहीं कर सकें, जिसमे हम अपीलान्टस की कोई लापरवाही या बदनियती नही रही हैं। दिनांक 10.08.2022 को हम अपीलान्टस ने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया, तो उनके द्वारा तहत अदालत से पारित उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर उसी दिन दिनांक 10.08.2022 को नकल के लिए आवेदन किया, जो नकल दिनांक 16.08.2022 को तैयार होकर दिनांक 16.08.2022 को सांयकाल प्राप्त हुई। नकल निर्णय लेकर दिनांक 16.08.2022 को वकील साहब से पुनः सम्पर्क कर कानूनी राय ली, तो उन्होने अविलम्ब अपील अदालत श्रीमान में पेश करने की कानूनी सलाह दी। उसके बाद अपील करने के लिए खर्चे का इंतजाम कर तथा वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर बिना देरी के अपील उक्त सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं। अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है, वह उक्त कारण से हुआ है जो कि नेकनियती

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। जहां निर्णय आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। ऐसे निर्णय को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्टस न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 10.08.2022 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं। असल रेस्पॉडेन्ट प्रार्थी रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी 21 कमल कुंज एन.ई.बी के पीछे, सुभाष नगर अलवर, राजस्थान ने अप्रार्थीगण अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट अप्रार्थी के खिलाफ एक परिवाद पत्र संख्या 03/45/2019 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 तहत अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर राजस्थान के समक्ष पेश किया गया। जिस पर अप्राथर्थीगण अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट अप्रार्थी ने तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब परिवाद पत्र पेश किया गया। तथा बाद बहस तहत अदालत द्वारा उक्त परिवाद पत्र का निस्तारण निर्णय दिनांक 29.04. 2022 से किया गया है। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट को तहत अदालत में हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट के खिलाफ परिवाद पत्र अर्न्तगत माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 पेश करने के लिए कोई वादकारण, बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा नही होते हैं। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट ने उक्त परिवाद पत्र केवल हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट को तंग व परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एंव मानसिक नुकसान कारित करने व सामाजिक बदनामी करने की नियत से तहत अदालत में पेश किया गया। जो पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य था। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट व हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट के मध्य सिविल अदालत सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 अलवर राजस्थान में सिविल वाद रमेशचन्द शर्मा वादी (बनाम) राजेश कुमार शर्मा आदि प्रतिवादीगण विचाराधीन है, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 27.08.2022 नियत है। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट रमेशचन्द शर्मा के तीन पुत्र व दो पुत्रीयों कुल 05 संतान हैं, पुत्रीयों विवाहित हैं, जो अपने–अपने ससुराल में रहती हैं। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट ने बतौर बदयान्ति मात्र दो पुत्रों राजेश कुमार शर्मा, व मुकेश कुमार शर्मा को पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं, जबकि एक छोटे पुत्र उमेशचन्द को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया हैं तथा दीपांशु शर्मा पुत्र रमेशचन्द शर्मा के नाम से जो नोटिस दिया गया हैं, वह गलत दिया हैं। दीपांशु शर्मा के पिता का नाम राजेश कुमार शर्मा हैं, जो रमेश चन्द शर्मा प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट का पोत्र हैं, जिसको बेजा पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट रमेशचन्द शर्मा जो मिन अपीलान्ट राजेश कुमार शर्मा व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट मुकेश कुमार शर्मा का पिता एंव मिन अपीलान्ट दीपांशु शर्मा का दादा हैं। जो रेल्वे विभाग में मेल ड्राईवर के पद से सेवानिवृत हुआ हैं, जो बहुत ही अय्याश एवं असामाजिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जो नई नई औरतों को अय्याशी करने के लिए अपने रिहायशी मकान में लेकर आता हैं, जिसका मौहल्ला बस्ती में भी किसी परिवार से व्यवहार ठीक नहीं हैं, इस बात की किसी सक्षम ऐजेन्सी से जांच कराई जा सकती हैं। परिवार के लोगो की उपस्थिति में प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट की अय्याशी नहीं हो सकती हैं। इसलिए वह हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट के साथ गाली गलौंच व झगडा फसाद करता रहता है, तथा झूठे मुकदमें व प्रार्थनापत्र अधिकारियों को देता रहता हैं। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट को वर्तमान में करीब 50 हजार रूपयें मासिक पेंशन मिलती हैं, जिसको वह स्वंय की अय्याशी पर ही खर्च करता हैं। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट ने ना तो कभी हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट के परिवार का भरण पोषण किया, ना ही अपनें दायित्व पूरें कियें हैं। मिन अपीलान्ट राजेश कुमार शर्मा व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट मुकेश कुमार शर्मा ने अपनी मेहनती की कमाई से प्लॉट खरीद कर निर्माण कराया हैं, लेकिन प्लॉट को पिता होने के नाते प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट रमेश चन्द शर्मा के नाम करा

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

दिया हैं। जिस बात का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट को परिवार सहित रिहायशी मकान से गलत हथकण्डे अपनाकर बेदखल करना चाहता हैं। अपीलान्ट दीपांशु शर्मा गैररायल जो कि प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट का पोता हैं, वह पढाई करता हैं, तथा वर्तमान में रीट की पढाई कर रहा हैं, तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हैं, उसका भविष्य खराब करने की दहशत व धमकी प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट देता रहता है, तथा उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराता है। हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट ने प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट को कभी तंग व परेशान नहीं किया गया है। परिवाद पत्र में वर्णित कोई घटना या वार्तालाप प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट व हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट के मध्य कभी नहीं हुआ। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट ने परिवाद पत्र में समस्त तथ्य मिथ्या मनघढन्त परिवाद पत्र की पूर्ति एंव वादकारण पैदा करने के निहित उद्वेश्य से दर्ज किये हैं। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट को हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट के खिलाफ कोई वादकारण पैदा नही होता हैं। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट अपना रहन–सहन, भरण–पोषण आदि स्वंय कर रहा है। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट साधनहीन पक्षकार नहीं हैं, साधन सम्पन्न हैं, एवं हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट पर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं हैं, इसलिए हम अप्रार्थीगण अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट अप्रार्थी पर प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट को किसी भी प्रकार की कोई भरण पोषण राशि अदा करने की जिम्मेवारी कानूनन नहीं बनती है। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट द्वारा मिन अप्रार्थी अपीलान्ट राजेश कुमार शर्मा व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट मुकेश कुमार शर्मा के अलावा अपने उक्त अन्य पुत्र उमेश चन्द के खिलाफ भरण पोषण हेतु मुकदमा नही किया गया हैं, और ना उसको पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। जबकि वो काननून हितबद्ध आवश्यक पक्षकार मुकदमा हैं। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट के रोज रोज के लडाई झगडे से तंग व परेशान होकर हम अपीलान्टस मकान नंबर 21 कमल कुंज एन ई बी के पीछे सुभाष नगर अलवर राजस्थान को छोडकर वर्तमान में मकान नंबर 07 दैनिक भास्कर ऑफिस के पास, अलवर राजस्थान में परिवार सहित अलग निवास कर रहे हैं, तथा अलग खान पान रहन सहन आदि कर रहे हैं। उक्त मकान नम्बर 21 कमल कुंज एन ई बी के पीछे सुभाष नगर अलवर राजस्थान में जिन परिसरों में हम अपीलान्टस रहते थे, उन पर हमनें ताला लगा दिया, लेकिन तालें को तोडकर उन परिसरों को भी प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट व उसका छोटा पुत्र उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट व उसके उक्त छोटे पुत्र ने कभी अपनी कोई भी पारिवारिक जिम्मेवारी नही निभायी हैं। प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट जो मिन अप्रार्थी अपीलान्ट राजेश कुमार शर्मा व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट मुकेश कुमार शर्मा का पिता व अपीलान्ट दीपांशु शर्मा का दादा हैं, जिसने कभी भी मिन अप्रार्थी अपीलान्ट राजेश कुमार शर्मा व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट मुकेश कुमार शर्मा के प्रति पिता का धर्म नही निभाया। क्योंकि प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट शुरू से ही असामाजिक एवं अय्याश प्रवृति का व्यक्ति हैं। झूठे व असत्य आधारों पर केवल तंग व परेशान करने की नियत से एंव प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट के मन में हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट के प्रति बदयान्ती आ जाने के कारण झूठा परिवाद पत्र तहत अदालत में पेश किया हैं। परन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया। मुकेश कुमार शर्मा के पास पर्याप्त आमदनी नहीं हैं, हम दोनों स्वयं व परिवार का खर्चा चलाते हैं। परिवाद पत्र में दर्ज कथनानुसार हमारी आमदनी नहीं हैं, असल प्रार्थी रेस्पॉडेन्ट स्वयं सेवानिवृत कर्मचारी हैं, तथा उक्त मकान में सभी सुख–सुविधाओं सहित रहता है। इसलिए प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट हम अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट से किसी भी प्रकार से कोई भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का नैतिक एवं विधिक रूप से अधिकारी नही हैं। तहत अदालत द्वारा मौहल्ला वासीयों के मेजरनामा पर भी कोंई गौर नही किया गया हैं। उक्त सिविल वाद में प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट के हक में कोई कार्यवाही नही होने पर प्रार्थी असल रेस्पॉडेन्ट ने रंजिशवश मात्र अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पॉडेन्ट के विरूद्ध तहत अदालत में परिवाद पत्र अर्न्तगत माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश कर कार्यवाही की है तथा तीसरे छोटे पुत्र को बतोर बदयान्ति पक्षकार मुकदमा नही बनाया हैं। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त एवं माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया हैं। तरतीबी रेस्पॉडेन्ट को तहत अदालत में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जो अपीलान्ट बनकर पैरवी करने में असमर्थ है, जिसके प्रकरण में हित निहित हैं। इसलिये रफाय हुज्जत अपील में पक्षकार मुकदमा तरतीबी रेस्पॉडेन्ट बनाया गया हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर राजस्थान दिनांक 29.04. 2022 प्रकरण संख्या 03/45/2019 अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान वकील अपीलांट्स की बहस पर चिन्तन–मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। असल रेस्पोडेंट अनुपस्थित है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 29.04.2022 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया कि प्रकरण मकान से बेदखली का प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया है कि परिवाद में भरण पोषण चाहा था। किन्तु वकील प्रार्थी ने सशर्त अन्तरण जैसा कोई दस्तावेज/इकरारनामा वक्त बहस भी पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को धारा 23 में वर्णन अनुसार बेदखल किया जाना उचित नहीं माना गया। अधिनियम की धारा 23 मौजूदा प्रकरण व पारिवारिक घटनाक्रम पर चस्पा नहीं होती है। जबकि उक्त अधिनियम की धारा 23 में बेदखली का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। किन्तु माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 उचित है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट्स खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का आदेश दिनांक 29.04.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान